रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082026-275852
CG-DL-E-29082026-275852

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2026/भाद्र 5, 1948
No. 695] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2026/BHADRA 5, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2026

सा.का.नि 761(अ).— केंद्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "सटीकता" से ऐसी श्रेणी अभिप्रेत है जिसका समय या आवृत्ति का मूल्य शासकीय निर्देश समय या तो **सार्वभौमिक** समय (राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारत) [यूटीसी (एनपीएलआई)] या भारतीय मानक समय (आईएसटी) के अनुरूप है;

(ख) "अधिनियम" से विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) अभिप्रेत है;

(ग) "प्राधिकृत समय स्रोत" से यूटीसी (एनपीएलआई) या भारतीय मानक समय के प्रसार के लिए ऐसे प्राधिकृत कोई संस्था, प्रणाली या सेवा अभिप्रेत है, जिसे निदेशक (विधिक मापविज्ञान) द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट ऐसे तकनीकी, प्रचालन, सुरक्षा, अनुरेखणीयता तथा अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहते हुए जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, और

जिसका प्राधिकार इन नियमों अथवा प्राधिकार की शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में, सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर प्रदान करने के पश्चात्, निदेशक (विधिक मापविज्ञान) द्वारा निलंबित या प्रतिसंहरित किया जा सकेगा।

(घ) "समन्वित सार्वभौमिक समय (यूटीसी)**"** से सहभागी राष्ट्रीय समय-निर्धारण प्रयोगशालाओं द्वारा अभिदत्त डाटा के आधार पर **अंतरराष्ट्रीय बाट और माप ब्यूरो (बीआईपीएम)** द्वारा संगठित और प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय निर्देश समय पैमाना अभिप्रेत है ।

(ङ) "अंतिम इकाई" से ऐसे किसी व्यक्ति, उपयोक्ता, संगठन या प्रणाली अभिप्रेत है, जो किसी प्राधिकृत समय स्रोत से प्राप्त समय को ग्रहण और उपयोग करती है;

(च) "भारतीय मानक समय (आईएसटी)" से भारत में सभी नागरिक, वाणिज्यिक और विधिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त शासकीय समय- पैमाना अभिप्रेत है, जिसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा स्थापित और अनुरक्षित किया जाता है तथा जो यूटीसी (एनपीएलआई) में 5 घंटे 30 मिनट का ऑफसेट जोड़कर व्युत्पन्न किया जाता है;

(छ) "नाविक" से, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित भारतीय नक्षत्र के साथ दिक्चालन अभिप्रेत है;

(ज) "आरआरएसएल" से सरकार द्वारा स्थापित क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं अभिप्रेत है;

(झ) "समय निर्देश" से प्रणाली, नेटवर्क या अवसंरचना को समसामयिक करने के लिए उपयोग किए जाने वाली अनुरेखणीयताऔर सटीक समय का स्रोत अभिप्रेत है;

(ञ) "यूटीसी (एनपीएलआई)" से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद–राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (सीएसआईआर-एनपीएल) में समन्वित सार्वभौमिक समय (यूटीसी) के साकार रूप से अभिप्रेत है;

(ट) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमश: है।

3. प्रयोजन और विस्तार.- ये नियम विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के उपबंधों के अनुसार भारतीय मानक समय (आईएसटी) के सृजन, अनुरक्षण, प्रसार, समसामयिकीकरण, अनुरेखणीयता तथा उपयोग के लिए रूपरेखा का उपबंध करता है, ताकि देशभर में भारतीय मानक समय (आईएसटी) को एकरूपता से अपनाना और उसके साथ समसामयिकीकरण सुनिश्चित किया जा सके तथा शासन, लोक सेवाओं, वाणिज्य, उद्योग, महत्वपूर्ण अवसंरचना और आम जनता द्वारा इसके उपयोग में शुद्धता, विश्वसनीयता, अनुरेखणीयता, प्रचालन दक्षता, प्रत्यास्थता तथा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।

4. समय की आधार इकाई.- समय की आधार इकाई सेकंड (प्रतीक – 'एस') होगी, जिसे सीज़ियम आवृत्ति के नियत संख्यात्मक मान को लेकर परिभाषित किया गया है, जो सीज़ियम-133 परमाणु की अप्रभावित ग्राउंड-स्टेट हाइपरफाइन ट्रांज़िशन आवृत्ति, 9192631770 है, जिसे Hz, इकाई में व्यक्त करने पर , s^{-1} के बराबर माना जाता है ।

5. **भारतीय मानक समय (आईएसटी) का रूपविधान.-** (1) भारतीय मानक समय (आईएसटी) का मानक रूप विधान एचएच :एमएम:एसएस: है

(2) भारतीय मानक समय)आईएसटी) का मानक रूप विधान तारीख सहित **दिदि-मामा-ववयव-** एचएच एसएस:एमएम: होगा।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषदराष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला– भारत के प्राथमिक समयपैमाने-, यूटीसी (एनपीएलआई),का अनुरक्षण करेगी तथा यूटीसी के साथ अनुरेखणीयता सुनिश्चित करते हुए भारतीय मानक समय)आईएसटी) को साकार करेगी।

(4) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अन्य प्राधिकृत समय स्रोत अपने शासकीय समय और आवृत्ति सेवाओं के माध्यम से यूटीसी (एनपीएलआई) और भारतीय मानक समय (आईएसटी) का प्रसार करेंगे।

(5) विधिक मापविज्ञान प्रभाग, आरआरएसएल में सभी द्वितीयक समयपैमाने- की स्थापना, अनुरक्षण तथा अनुरेखणीयता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा, ताकि भारतीय मानक समय आईएसटी)) के साथ उनकी अनुरेखणीयता सुनिश्चित की जा सके।

6. समय का निर्देश.- (1) विधिक, प्रशासनिक और शासकीय दस्तावेजों में समय के सभी संदर्भ भारतीय मानक समय (आईएसटी) होंगे जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से न कथित हो।

(2) भारतीय मानक समय (आईएसटी) सभी क्षेत्रों में जिसके अंतर्गत वाणिज्य, परिवहन, लोक प्रशासन, विधिक संविदा और वित्तीय प्रचालन भी है मानक समय निर्देश होगा।

(3) प्राधिकृत समय स्रोत को यूटीसी (एनपीएलआई) या भारतीय मानक समय (आईएसटी) के साथ अपने समय समाकलन की सटीकता और अनुरेखणीयता का अनुरक्षण करेगा ।

(4) प्राधिकृत समय स्रोत यूटीसी (एनपीएलआई) या भारतीय मानक समय (आईएसटी) के लिए अनुरेखणीय समय संकेत का उपबंध करेगा और अंतिम इकाई अपनी प्रणाली के भीतर समय पर निर्भर सटीकता, स्थिरता और अनुरेखणीयता का अनन्य उत्तरदायित्व वहन करेगा।

(5) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और अन्य प्राधिकृत समय स्रोत शासकीय भारतीय मानक समय (आईएसटी) प्रदर्शित करने वाला एक लोक वेबपेज रख सकते हैं और यद्यपि ऐसे स्रोत राष्ट्रीय समय मानक से अनुरेखणीय योग्य एक समय संकेत का उपबंध करेंगे, अंतिम उपयोक्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उन्हें अभिलिखित करके विचलन की मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा और राष्ट्रीय समय मानक के लिए अपने समय की अनुरेखणीयता प्रदर्शित करने के लिए लेखापरीक्षा योग्य डाटा बनाएगा।

7. **अन्य समय निर्देशों का प्रतिषेध. -** कोई इकाई सभी प्रयोजनों के लिए भारतीय मानक समय (आईएसटी) से भिन्न किसी अन्य समय निर्देश का उपयोग, प्रदर्शन या अभिलिखित नहीं करेगी:

परंतु यदि तत्समय प्रवृत्त कोई विधि या आदेश या निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत भारतीय मानक समय (आईएसटी) के साथ स्पष्ट लेबलिंग के साथ विदेशी समय क्षेत्रों के समय के प्रदर्शन की अनुज्ञा देता है, तो वैकल्पिक समय पैमानों का पूर्व अनुमोदन से वैज्ञानिक अनुसंधान, दिक्चालन या खगोल विज्ञान के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

8. **भारतीय मानक समय (आईएसटी) का लोक प्रदर्शन और उपयोग. - (1)** सरकारी कार्यालय और लोक संस्थाएं इन नियमो में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत समय स्रोत के माध्यम से समय-निर्भर अनुप्रयोगों और लोक समय प्रदर्शनों को भारतीय मानक समय (आईएसटी) के साथ समसामयिक करेंगे।

(2) अभिहित एनटीपी, पीटीपी या कोई अन्य प्राधिकृत साधन या नाविक सेवाओं जिसके अंतर्गत डोमेन नाम या लोक इंटरनेट प्रोटोकॉल पते भी है के लिए विनिर्दिष्ट पते या पहुंच प्रोटोकॉल, निदेशक (विधिक मापविज्ञान) द्वारा प्रकाशित और अनुरक्षित किया जाएगा।

(3) प्रमुख लोक स्थान जिसके अंतर्गत रेलवे, हवाई अड्डे और सरकारी कार्यालय भी है, पर इन नियमों में परिभाषित एक अनुरेखणीय स्रोत से सटीकता के साथ समसामयिक भारतीय मानक समय (आईएसटी) का प्रदर्शन किया जाएगा।

(4) महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसके अंतर्गत दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा और डाटा केंद्र भी है प्रचालन करने वाली इकाईयां यह सुनिश्चित करेंगी कि समय-निर्भर प्रणालियां यूटीसी (एनपीएलआई) से अनुरेखणीय प्राधिकृत समय स्रोत का उपयोग करके भारतीय मानक समय (आईएसटी) के साथ समसामयिक हों, अर्थात्-

(i) एनपीएलआई; या

(ii) आरआरएसएल; या

(iii) नाविक आधारित समय निर्देश/उपकरण; या

(iv) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र; या

(v) अन्य प्राधिकृत समय स्रोत ।

(5) प्राधिकृत समय स्रोत मानक प्रोटोकॉल जिसके अंतर्गत नेटवर्क समय प्रोटोकॉल (एनटीपी) और प्रमिति समय प्रोटोकॉल (पीटीपी) भी है का उपयोग करके समय प्रसार सेवाएं प्रदान करेंगे, और निदेशक, विधिक मापविज्ञान ऐसी सेवाओं के लिए सदस्यता फीस विनिर्दिष्ट कर सकेंगे।

9. **साइबर सुरक्षा और लचीलापन.-** (1) समय-समाकलन प्रणाली में दोषपूर्ण हमलों से बचाव के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपाय सम्मिलित होंगे ।

(2) अंतिम इकाई, यूटीसी (एनपीएलआई) या भारतीय मानक समय (आईएसटी) से जुड़े निरंतर समय अनुरेखणीयता के लिए अनावश्यक समय समाकलन प्रणाली का उपयोग करेगी।

(3) सभी इकाईयां और संगठन अपने समय-समाकलन प्रणालियों को प्रभावित करने वाले संभावित व्यवधानों, जिसके अंतर्गत जैमिंग, स्पूफिंग और साइबर-हमले भी हैं, को कम करने के लिए एक व्यापक आकस्मिक योजना का कार्यान्वयन और अनुरक्षण करेंगे।

(4) समय-समाकलन प्रणाली की अखंडता, गोपनीयता और उपलब्धता की रक्षा के उद्देश्य से समय-समाकलन प्रणाली के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा मार्गदर्शक सिद्धांत जो केन्दीय सरकार या ऐसे प्राधिकारी जो उसके द्वारा प्राधिकृत किये जाए द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(5) समय-समाकलन प्रणालियाँ, -

(i) अप्राधिकृत घुसपैठ और दुरुपयोग से बचाने के लिए एक सुरक्षित आवास, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं का उपयोग करें;

(ii) उनकी सेवाओं में विश्वसनीयता का एक विश्वसनीय स्तर प्रदान करना, उनके आशयित कार्य के प्रदर्शन के लिए उपयुक्त;

(iii) यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करें कि जवाबदेही, उपलब्धता, विश्वसनीयता और समय अनुरेखणीयता बनी रहे; और

(iv) ऐसे मानकों, मार्गदर्शक सिद्धांतो और प्रक्रियाओं का अनुपालन करें जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए

परंतु ऐसे मानक प्रणाली की सुरक्षा और अखंडता से समझौता नहीं करें।

(6) राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए, सभी महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्र जिसके अंतर्गत रक्षा, विधुत ग्रिड, उपयोगिताएं, दूरसंचार, बैंककारी और वित्त, परिवहन, उद्यम, प्रसारण, डाटा केंद्र आदि भी है, अनावश्यक समय समाकलन प्रणाली का उपयोग करेगा और ऐसी प्रणाली में अन्य प्राधिकृत समय स्रोत के अतिरिक्त समय निर्देश के रूप में नाविक या एक या उससे अधिक प्राधिकृत समय स्रोत को सम्मिलित किया जाएगा।

(7) लचीलापन बनाने के लिए, सभी वैश्विक दिक्चालन उपग्रह प्रणाली आधारित समय उपकरणों को कम से कम एक समय निर्देश सीधे प्रत्यक्ष रूप से नाविक तारामंडल या किसी प्राधिकृत समय स्रोत से प्राप्त करना होगा।

(8) सभी इकाईयां और संगठन व्यवधानों को कम करने और नेटवर्क प्रचालन और मिशन-महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपने समय अवसंरचना में एक या उससे अधिक प्राधिकृत समय स्रोतों को एकीकृत करेंगे।

(9) निर्देश इनपुट असफलताओं की स्थिति में उपयोक्ता अत्यधिक स्थिर और सटीक परमाणु घड़ियों का उपयोग करके या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला या क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाओं द्वारा अंशांकित या प्राधिकृत समय स्रोतो से समय प्राप्त करके निर्बाध समय सेवाओं को बनाए रखने के लिए तंत्र कार्यान्वित करेगा।

10. **अनुपालन और मानीटरी.-** (1) इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवधिक लेखापरीक्षा की जाएगी।

(2) सभी क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशालाएं और अन्य प्राधिकृत समय स्रोत भारतीय मानक समय (आईएसटी) अनुरेखणीयता और उपलब्धता को सत्यापित करने के लिए ऐसी लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

(3) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, यूटीसी (एनपीएलआई) का अनुरक्षण करेगी और समन्वित सार्वभौमिक समय (यूटीसी) के लिए इसकी अनुरेखणीयता सुनिश्चित करेगी।

(4) विधिक मापविज्ञान प्रभाग इन नियमों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन करेगा।

11. **शास्तियां.-** (1) जहां किसी व्यक्ति या अभिकरण ने इन नियमों के उपबंधों, निदेशों या तदद्यीन किए गए आदेशों को भंग किया है, वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन दंडनीय होगा।

(2) निदेशक, विधिक मापविज्ञान या कोई प्राधिकृत अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन उपबंधों के भंग की दशा में जांच करेगा और शास्ति अधिरोपित करेगा।

[फा. सं. I-9/1/2025-डब्ल्यू एंड एम]

अनुपम मिश्रा, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2026

G.S.R. 761(E).— In exercise of the powers conferred by section 52 of the Legal Metrology Act, 2009, (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

(1) Short title and commencement.- (1) These rules may be called as the Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026.

(2) They shall come into force after one hundred and eighty days from the date of publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "accuracy" means the degree to which a time or frequency value conforms to the official reference time either **Coordinated Universal Time (National Physical Laboratory India) [**UTC (NPLI)] or Indian Standard Time (IST);

(b) "Act" means the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010);

(c) "Authorised Timing Source" means any institution, system or service authorised by the Director (Legal Metrology), subject to such technical, operational, security, traceability and compliance requirements as may be specified from time to time, for the dissemination of UTC(NPLI) or Indian Standard Time and whose authorisation may be suspended or revoked by the Director (Legal Metrology) for non-compliance with these Rules or the conditions of authorisation, after giving a reasonable opportunity of being heard.

(d) "Coordinated Universal Time (UTC)" means the international reference time scale computed and published by the International Bureau of Weights and Measures (BIPM) based on data contributed by participating national timing laboratories;

(e) "end entity" means any person, user, organisation or system receiving and using time obtained from an authorised timing source;

(f) "Indian Standard Time (IST)" means the official time scale for all civil, commercial and legal purposes in India, realised and maintained by the Council of Scientific and Industrial Research - National Physical Laboratory and derived by adding an offset of 5 hours and 30 minutes to UTC(NPLI);

(g) "NavIC" means Navigation with Indian Constellation, developed by Indian Space Research Organisation;

(h) "RRSL" means Regional Reference Standards Laboratories established by the Government;

(i) "timing reference" means a source of traceable and accurate time used to synchronise systems, networks or infrastructure;

(j) "UTC(NPLI)" means the realisation of **Coordinated Universal Time** (UTC) at Council of Scientific and Industrial Research -National Physical Laboratory;

(k) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Purpose and scope.— These rules shall provide the framework for the generation, maintenance, dissemination, synchronisation, traceability and use of Indian Standard Time (IST) in accordance with the provisions of the Legal Metrology Act, 2009, with a view to ensuring uniform adoption and synchronisation of Indian Standard Time (IST) across the country and promoting accuracy, reliability, traceability, operational efficiency, resilience and security in governance, public services, commerce, industry, critical infrastructure and by the public at large.

4. Base unit of time.- The base unit of time shall be the second (symbol-'s'), defined by taking the fixed numerical value of the caesium frequency ΔV_{cs}, the unperturbed ground-state hyperfine transition frequency of caesium-133 atom, to be 9192631770 when expressed in the unit Hz, equal to s^{-1}.

5. Format of **Indian Standard Time (IST).-** (1) The standard format of **Indian Standard Time (IST) is** HH:MM:SS

(2) The standard format for Indian Standard Time (IST) with date is DD-MM-YYYY- HH:MM:SS

(3) The Council of Scientific and Industrial Research - National Physical Laboratory shall maintain the primary time scale of India, UTC (NPLI) and realise Indian Standard Time **(IST)**, with traceability to the UTC.

(4) The Council of Scientific and Industrial Research - National Physical Laboratory, Regional Reference Standards Laboratories, Indian Space Research Organisation and other authorised timing sources shall disseminate UTC (NPLI) and Indian Standard Time **(IST)** through its official time and frequency services.

(5) The Legal Metrology Division shall be responsible for the establishment, maintenance and traceability of all secondary time scales at RRSLs to ensure traceability to the IST.

6. Reference to time.- (1) All references to time in legal, administrative and official documents shall be Indian Standard Time **(IST)** unless explicitly stated otherwise.

(2) The Indian Standard Time **(IST)** shall be the standard time reference across all sectors, including commerce, transport, public administration, legal contracts and financial operations.

(3) The authorised timing source shall maintain accuracy and traceability of its time synchronisation to UTC (NPLI) or Indian Standard Time (IST).

(4) An authorised timing source shall provide a time signal traceable to the UTC (NPLI) or Indian Standard Time **(IST)** and the end entity shall bear the exclusive responsibility for ensuring the accuracy, stability and traceability of the time dependent within its systems.

(5) The Council of Scientific and Industrial Research-National Physical Laboratory and other authorised timing sources may maintain a public webpage displaying the official Indian Standard Time (IST) and while such source shall provide a time signal traceable to the national time standard, the end user shall be responsible for monitoring deviations recording them in accordance with international standards and maintains auditable data to demonstrate traceability of its time to the national time standard.

7. Prohibition of other time references.- No entity shall use, display or record any time reference other than Indian Standard Time **(IST)** for all purposes:

Provided that if any law in force or orders or directions or guidelines permits for display of time of foreign time zones with clear labelling alongside Indian Standard Time **(IST)**, alternate time scales may be used for scientific research, navigation or astronomy with prior approval.

8. Public display and use of Indian Standard Time (IST).- (1) The Government offices and public institutions shall synchronise time-dependent applications and public time displays to Indian Standard Time (IST) through an authorised timing source specified in these rules.

(2) The specific addresses or access protocols for designated NTP, PTP or any other authorised means or NavIC services including domain names or public internet protocol addresses, shall be published and maintained by the Director (Legal Metrology).

(3) Major public locations, including railways, airports and Government offices, shall display Indian Standard Time (IST) synchronised with a traceable source as defined in these rules with accuracy.

(4) Entities operating within critical sectors, including telecommunications, financial services, energy and data centers, shall ensure that time-dependent systems are synchronised to Indian Standard Time (IST) using an authorised time source traceable to UTC (NPLI), namely,–

(i) NPLI; or

(ii) RRSL; or

(iii) NavIC based timing reference/device; or

(iv) National Informatics Centre; or

(v) other authorised timing sources.

(5) The authorised timing sources shall provide time dissemination services using standard protocols, including Network Time Protocol (NTP) and Precision Time Protocol (PTP) and the Director, Legal Metrology may specify subscription fee for such services.

9. Cybersecurity and resiliency.- (1) The time-synchronisation systems shall incorporate robust cybersecurity measures to safeguard against malicious attacks.

(2) The end-entity shall employ a redundant time synchronisation system to ensure continuous time traceable to UTC (NPLI) or Indian Standard Time **(IST)**.

(3) All entities and organisations shall implement and maintain a comprehensive contingency plan to mitigate potential disruptions, including jamming, spoofing and cyber-attacks, affecting their time-synchronisation systems.

(4) The information technology security guidelines for time-synchronisation systems aimed at protecting the integrity, confidentiality and availability of service of Time-synchronisation systems as specified by the Central Government or such authority as may be authorised by it.

(5) The time-synchronisation systems shall,-

(i) utilise a secure housing, hardware, software and procedures to protect against unauthorised intrusion and misuse;

(ii) provide a dependable level of reliability in their services, suited for the performance of their intended function;

(iii) adhere to security procedures to ensure that accountability, availability, reliability and traceability of time are maintained; and

(iv) comply with such standards, guidelines and procedures as may be specified by the Government:

Provided that such standards do not compromise the security and integrity of the system.

(6) **To safeguard national and economic security, all critical infrastructure sectors including defence, power grids, utilities, telecommunications, banking and finance, transportation, enterprises, broadcasting, data centers, etc. shall** utilise a redundant time synchronization system and such system shall incorporate **the NavIC or one or more authorised timing sources** as a **timing reference in addition to other authorised timing source.**

(7) To build resiliency, all global navigation satellite systems based timing devices shall receive at least one timing reference directly from the NavIC constellation or from an authorised timing source.

(8) All entities and organisations **shall integrate one or more authorised timing sources into their timing infrastructure to mitigate disruptions and ensure continuity of network operations and mission-critical services.**

(9) The user shall implement mechanisms to maintain uninterrupted timing services in the event of reference input failures by employing highly stable and precise atomic clocks calibrated by Council of Scientific and Industrial Research - National Physical Laboratory **or** Regional Reference Standard Laboratories **or by sourcing time from authorised timing sources.**

10. Compliance and monitoring.– (1) The periodic audits shall be conducted to ensure compliance with these rules.

(2) All Regional Reference Standard Laboratories and other authorised timing sources shall be subject to such audits to verify the traceability and availability of Indian Standard Time (IST).

(3) The Council of Scientific and Industrial Research - National Physical Laboratory, shall maintain UTC (NPLI) and ensure its traceability to Coordinated Universal Time (UTC).

(4) The Legal Metrology Division shall oversee and enforce compliance with these rules.

11. Penalties.– (1) where any person or agency has breached the provisions of these rules, directions or orders made thereunder, shall be punishable under the provisions of the Act.

(2) The Director, Legal Metrology or an authorised officer, shall conduct an inquiry and impose penalty in case of breach of the provisions under this Act.

[F. No. I-9/1/2025-W&M]

ANUPAM MISHRA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2026.08.29 13:22:16 +05'30'